



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1942 (श10)
(सं0 पटना 366) पटना, सोमवार, 22 जून 2020

सं० 1/स्था०(आरोप)—02/2017—3298/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

19 जून 2020

श्री रामसुखित राय (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक—48/2017, तत्कालीन वरीय कोषागार पदाधिकारी—सह—जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जहानाबादद्वारा श्री आलोक कुमार गुप्ता, पिता— श्री सुरेश कुमार गुप्ता, सरस्वती मोड़ बीबीपुर, काको, जहानाबाद का महालेखाकार कार्यालय पटना द्वारा उपादान की राशि से संबंधित प्राधिकार पत्र को भुगतान की कार्यवाई गलत मंशा से दो वर्षों तक रोक रखने के संबंध में इनसे पूछे गये स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने के कारण सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—7079, दिनांक—04.09.2017 द्वारा इन्हें तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 (2) के अधीन विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

- 02: विशेष सचिव—सह—संचालन पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—150/एस० एस०/एस० एस० एम० कोषांग दिनांक—16.02.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी पर लगाए गए आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।
- 03: बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 17(2) के संगत प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक—1561, दिनांक—28.02.2018 द्वारा श्री राय को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- 04: आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक—09.03.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें अपने बचाव में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि वित्त विभाग से ही 18 बिन्दुओं पर साक्ष्य की माँग की गयी। पुनः दिनांक—11.04.2019 की तिथि में हस्ताक्षरित एक दूसरा कारण पृच्छा दायर किया गया, जो वित्त विभाग में दिनांक—15.04.2019 को प्राप्त हुआ। साथ ही उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा (पत्र संख्या—1561 दिनांक—28.02.2018) को **Quash** करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में **CWJC No.-5189/2018** दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—30.03.2018 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया :-

"The respondent are directed to file counter affidavit within four weeks. Rejoinder, if any, may be filed within two weeks thereafter.

In the meantime, the final order shall not be passed in the ongoing departmental proceeding till disposal of the present writ petition."

उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय कार्यवाही पर कार्रवाई स्थगित रही।

- 05: उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-26.08.2019 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नलिखित है :-

"This application is, thus, disposed of with an observation that let a decision be taken by the disciplinary authority on the petitioner's reply to the second show cause notice within two months from the date of receipt/production of a copy of this order. If the disciplinary authority failed to take a final decision in this regard within the stipulated time, the order of suspension shall stand revoked,

The interim order dated 30.03.2018 stands vacated."

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **Observation** में अंकित किया गया है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में वादी को परिवादी से **Cross Examine** करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और वादी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में यह अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उल्लेख किया गया है कि यदि वादी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में इस प्रकार का अनुरोध किया गया है, तो अनुशासनिक प्राधिकार का **Statutory Duty** है कि उस पर विचार करे और बिहार सरकारी सेवक (नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करे।

- 06: आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गयी। श्री राम सुखित राय, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद के विरुद्ध श्री आलोक कुमार गुप्ता, पिता- स्व० सुरेश कुमार गुप्ता, सरस्वती मोड़ बीबीपुर, काको, जहानाबाद से उपादान की राशि भुगतान नहीं करने संबंधी परिवाद-पत्र प्राप्त हुआ तथा इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय से भी श्री गुप्ता का परिवाद पत्र प्राप्त हुआ। परिवाद-पत्र में श्री आलोक कुमार गुप्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा परिवादी के पिता श्री सुरेश कुमार गुप्ता के नाम से पी०पी०ओ० संख्या-201314093403 जारी किया गया था। उक्त पी०पी०ओ० को खारिज कर प्राधिकार-पत्र श्री आलोक कुमार गुप्ता (परिवादी) के नाम से जारी करने का आवेदन दिनांक- 23.03.2015 को कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को दिया गया था। सारी कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा महालेखाकार कार्यालय, पटना को पत्रांक 339 दिनांक 15.04.2015 के द्वारा प्राधिकार-पत्र श्री आलोक कुमार गुप्ता के नाम से जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। महालेखाकार के पत्रांक आई०डी०एम०- 2107150995010 दिनांक 07.08.2015 स्पीड पोस्ट संख्या-EF2170685771N दिनांक-17.08.2015 द्वारा प्राधिकार-पत्र जहानाबाद कोषागार को भेजा गया। दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा भुगतान की कार्रवाई का अंजाम नहीं दिया गया है। विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के बयान को अंकित किया गया है एवं आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध परिवादी को उपादान की राशि के भुगतान करने में टाल मटोल की नीति अपनाने एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में 18 बिन्दुओं का उल्लेख किया है, जिसकी कंडिका-1 से 7 तक एवं 13 में विभागीय कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया के संबंध में अभिलेख की माँग की गयी है। कंडिका-10, 11, 12, 15 एवं 18 में कोषागार नियमावली के संबंध में साक्ष्य की माँग की गयी है, जो विचारणीय नहीं है क्योंकि श्री राय के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया है। परिवाद प्राप्त होने पर श्री राय से स्पष्टीकरण पूछा गया और उनके स्पष्टीकरण से सक्षम प्राधिकार के संतुष्ट नहीं होने एवं प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उन्हें निलंबित किया गया एवं विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री राय द्वारा कंडिका-14 में उल्लेख किया गया है कि जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य का दिया गया जबाब का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में तथ्य यह है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान इनके समक्ष आरोपित पदाधिकारी द्वारा

दिये गये लिखित बयान का उल्लेख किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा की कड़िका-16 में अंकित किया गया है कि जाँच प्रतिवेदन बिना साक्ष्य के, बिना साक्षियों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण, पुनः परीक्षण पर आधारित न होकर दुर्भावना से प्रेरित है। इस संबंध में तथ्य यह है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षण कराने के संबंध में संचालन पदाधिकारी से अनुरोध नहीं किया गया है। आरोपित पदाधिकारी अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में संचालन पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने दायित्वों का दुरुपयोग किया है तथा आरोपित पदाधिकारी के साथ असंसदीय/अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग बार-बार किया गया तथा प्रताड़ित किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि यदि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी का व्यवहार मर्यादित नहीं था और उनके द्वारा आरोपित पदाधिकारी को प्रताड़ित किया जाता रहा तो ऐसी स्थिति में आरोपित पदाधिकारी को चाहिए था कि इसकी सूचना वे सक्षम प्राधिकार को देते हुए संचालन पदाधिकारी बदलने का अनुरोध करते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने द्वितीय कारण पृच्छा में संचालन पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। दिनांक-11.04.2019 की तिथि में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में भी उपरोक्त पत्र के द्वारा माँगी गयी सूचना का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपित पदाधिकारी द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन तथ्यों को विभागीय कार्यवाही के संचालन में भी उल्लेख किया गया है।

07: प्रस्तुत मामले में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त आरोप के अतिरिक्त श्री राय के विरुद्ध नाजायज ढंग से अर्जित रकम को छुपाने के मामले में विभागीय अधिसूचना संख्या-7726, दिनांक 22.09.2017 द्वारा कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनत किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। आरोपित पदाधिकारी को घोषी (ओकरी) थाना काण्ड संख्या-60/2016 (पाँच कर्मियों के भविष्य निधि में जमा राशि से अधिक निकासी का मामला) में विभागीय अधिसूचना संख्या-2424 दिनांक-04.05.2020 द्वारा सेवा संवर्ग के मूल पद पर अवनति का दण्ड अधिरोपित किया गया है। पुनः श्री अरुण कुमार वर्मा, अंचल अधिकारी का वेतन भुगतान पर लगी रोक के बावजूद उनका वेतन भुगतान कर देने संबंधी आरोप भी विचाराधीन है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बार-बार आर्थिक अपराध किया जा रहा है, जिसके कारण विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल हो रही है और उनके आचरण में सुधार नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया है कि श्री राय सरकारी सेवा में रहने लायक नहीं है। वर्णित स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-V, नियम-14 (XI) के अधीन श्री राय को सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

08: विभागीय पत्रांक-10034, दिनांक-17.12.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री राय के विरुद्ध विनिश्चित दंड पर परामर्श की मांग की गई है। आयोग के पत्रांक-05/ प्रो-36-04/2019 (3380) लो०से०आ० दिनांक-17.03.2020 द्वारा आयोग का अभिमत प्राप्त हुआ, जो निम्नवत् है:-

“वित्त विभागीय पत्रांक-1561, दिनांक-28.02.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से की गयी द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के विभागीय स्तर पर सम्यक् समीक्षोपरांत श्री राय के विरुद्ध “सेवा से बर्खास्त” का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है, के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त आयोग विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करता है”।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री रामसुखित राय (बिहार लेखा सेवा), तत्कालीन वरीय कोषागार पदाधिकारी-सह-जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जहानाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड देने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

09: अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रामसुखित राय (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक-48/2017, तत्कालीन वरीय कोषागार पदाधिकारी-सह-जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जहानाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-V, नियम 14(xi) के प्रावधानों के तहत “सेवा से बर्खास्तगी का दंड” अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री रामसुखित राय (बिहार लेखा सेवा), कोटि क्रमांक-48/2017, तत्कालीन वरीय कोषागार पदाधिकारी-सह-जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जहानाबाद एवं सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नीलम चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 366-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>